

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर

प्रकरण संख्या :-04/26

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया)  
लिमिटेड  
दी रूबी, 10 वीं मंजिल, 29, सेनापति  
बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुम्बई  
जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री वीरेन्द्र  
यादव

- जगदीश पुत्र जीयाराम, नानदीया  
प्रभावती जिला जोधपुर
- गुडडी पुत्री हरी राम, मेघवालों का  
बास, कुरी, कुडी, जिला जोधपुर
- मुकेश पुत्र भंवरलाल, प्लॉट नम्बर  
51, खसरा नम्बर 86, शिव पार्वती  
नगर, खोखारीया जिला जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन  
और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

आदेश दिनांक :- 20.02.2026

उपस्थिति :-

1-अंकुर आनंद शर्मा अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का  
प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण  
जगदीश पुत्र जीयाराम व अन्य के विरुद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा  
अप्रार्थीगण को कुल राशि रुपये 2,15,000/-मोर्टगेज ऋणसुविधा उपलब्ध कराई गई तथा  
पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण जगदीश पुत्र जीयाराम की जायदाद पट्टा नम्बर 96, बुक नम्बर 22,  
मिसल नम्बर 75/2018-19, संकल्प नम्बर 3 जारी करने की दिनांक 20.09.2018 ग्राम पंचायत  
बुडकिया पंचायत समिति भोपालगढ़, जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 102.08 वर्गगज जिसके उत्तर में  
शामिल गली व निकाल दक्षिण में अणदाराम का मकान, पूर्व में फगलाराम का मकान एवं पश्चिम

में शामिल जमीन आया हुआ, को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया।  
अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल  
रहे। प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम के तहत प्रार्थी के



RajKaj Ref No.:  
20658731



1

Signature valid

Digitally signed by Gaurav Agrawal  
Designation: Collector & District  
Magistrate  
Date: 2026.02.20 12:37:26 IST  
Reason: Approved

अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 03.07.2025 तक 6,36,198/- भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 2,15,000/-मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 03.07.2025 तक 6,36,198/- वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटीइन्ट्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्त जायदाद जगदीश पुत्र जीयाराम की जायदाद पट्टा नम्बर 96, बुक नम्बर 22, मिसल नम्बर 75/2018-19, संकल्प नम्बर 3 जारी करने की दिनांक 20.09.2018 ग्राम पंचायत बुडकिया पंचायत समिति भोपालगढ़, जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 102.08 वर्गगज जिसके उत्तर में शामिल गली व निकाल दक्षिण में अणदाराम का मकान, पूर्व में फगलाराम का मकान एवं पश्चिम में शामिल जमीन आया हुआ, का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।



आदेश आज दिनांक 20.02.2026 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

Signature valid

Digitally signed by Gaurav Agrawal  
Designation: Collector & District  
Magistrate  
Date: 2026.02.20 12:37:26 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:  
20658731